

FORM - III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

परमजीत कौर बनाम शेरजंग सिंह आदि
 अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 आरटीए नम्बर 79 सन् 2023
 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/123 (By no: 2023/123)

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

18.05.2023 वादी परमजीत कौर पुत्री शेरजंग सिंह पत्नी रसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता दलजीत सिंह बराड ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.07.2023 को पेश हो।

(Handwritten signature)

17/7/23

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रोक-र कर 3 बार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अदम पेशवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर गम्बर से काम होकर वापिस दफ्तर हो।

(Handwritten signature)



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर